20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी नि.सं. 3719-II-16

मुन्ना पुत्र श्री बिन्दा, निवासी ग्राम छितीपुर, तहसील करैरा, शिवपुरी (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

1. राघवेन्द्रसिंह पुत्र श्री राजनसिंह
2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजनसिंह
3. दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजनसिंह
4. मु. नवलराजा वेवा राजेन्द्रसिंह,
5. बादाम पुत्र श्री गिल्ला गडरिया
   निवासीगण ग्राम कुचलौन, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
6. धनीराम पुत्र श्री हरगोविन्द,
7. नवल पुत्र श्री हरगोविन्द,
8. मोहन पुत्र श्री जाहरसिंह,
9. महेन्द्र पुत्र श्री जाहरसिंह,
   निवासीगण ग्राम छितीपुर, तहसील करैरा, शिवपुरी (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

चतुर्वेदी 27-10-16

27-10-16

386
27-10-16

27/10/16

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 दिनारा, जिला शिवुपरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2, दिनारा, जिला शिवपुरी के समक्ष भूमि खसरा क्रमांक 107/2, 110/2, 191 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था।
2. यहकि, अधीनस्थ प्राधिकारी, राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2, दिनारा, जिला शिवपुरी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 22/अ–12/2015–16 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा ग्राम पटवारी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 20.04.2016 को सीमांकन आदेश पारित किया। अधीनस्थ

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3719-दो/16 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य	
	<u>अनुविभागीय अधिकारी करैरा</u>	